

वश्व वन्यजीव संरक्षण दविस

स्रोत: द हट्टि

वश्व वन्यजीव संरक्षण दविस (4 दसिंबर) भारत की समृद्ध जैववविधिता के साथ **गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातयिों** की सुरक्षा के क्रम में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर केंद्रति है ।

- **पृष्ठभूमि:** अमेरकी वदिश वभिग द्वारा वर्ष 2012 में की गई प्रतजिजा से प्रारंभ हुआ यह दविस वन्यजीव संरक्षण एवं स्थरिता के क्रम में वैश्वकि कार्रवाई को प्रोत्साहन देने पर केंद्रति है ।
- **भारत की जैववविधिता:** भारत जैववविधिता **संपन्न देश** है, जसिका भूमि क्षेत्त्र वश्व के कुल क्षेत्त्रफल का मात्र 2.4% है तथा यहाँ **91,000 पशु प्रजातयिों सहति सभी दर्ज प्रजातयिों में से 7-8% हैं** ।
 - भारत में वश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 34 जैववविधिता हॉटस्पॉट में से चार (अर्थात् **हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट-श्रीलंका और सुंदरलैंड**) हैं ।
- **वन्यजीवों के समक्ष खतरा:** भारत में तीव्र आर्थकि वकिास तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतकि संसाधनों की मांग बढ़ने से **वन्यजीवों के आवासों** पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।
 - **अवैध शकिार, तस्करी और वनों के पास की भूमि पर खेती** के कारण मानव-पशु संघर्ष की घटनाएँ बढ़ रही हैं । **वन्यजीव अभयारण्यों और बायोस्फीयर रज़िर्व** के महत्त्व के बावजूद उनमें बाड़ की कमी से लगातार चुनौतयिों का सामना करना पड़ रहा है ।
 - **बाघ और शेर** जैसी बड़ी बलिली प्रजातयिों के संरक्षण पर ध्यान दया जाता है लेकनि **ग्रेट इंडियन बसटर्ड जैसे पक्षयिों** को खतरे के बावजूद अकसर नज़रअंदाज़ कर दया जाता है ।
 - वर्ष 2022 तक भारत में 73 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातयिों (जो वर्ष 2011 में 47 थीं) थीं, जनिमें 9 स्थानकि स्तनपायी प्रजातयिों शामिल हैं ।

वन्यजीव संरक्षण पहल

वन्यजीव के लिये संवैधानिक प्रावधान

- **42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976:** वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण (राज्य से समवर्ती सूची में हस्तांतरित)
- **अनुच्छेद 48 A:** राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास
- **अनुच्छेद 51 A (g):** वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिये मौलिक कर्तव्य

वैधानिक ढाँचा

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002

प्रमुख संरक्षण पहलें

- **वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (IDWH):**
 - ⌚ वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
 - ⌚ एक केंद्र प्रायोजित योजना
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031)**
- **संरक्षित क्षेत्रों में इको-पर्यटन के लिये दिशानिर्देश**
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन**
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो:** वन्यजीव संबंधी अपराधों से निपटने हेतु
- **वन्यजीव प्रभाग (MoEFCC):**
 - ⌚ जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण हेतु नीति और कानून
 - ⌚ IDWH, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता

■ **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB):** खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार, केंद्रीकृत वन्य जीवन अपराध डेटाबैंक की स्थापना, समन्वय आदि।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण:

- ⌚ ऑपरेशन सेव कुर्मा
- ⌚ ऑपरेशन थंडरबर्ड

प्रजाति-विशिष्ट पहल

- गंगा नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेड (धेनुक) की सुरक्षा एवं संरक्षण
- गंगा नदी के गैर-संरक्षित क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण
- जंगली भैंसों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र (वर्ष 2020)
- हिम तेंदुए के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2009)
- गिद्धों के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2006)
- प्रोजेक्ट एलिफेंट (वर्ष 1992)
- प्रोजेक्ट टाइगर/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) (वर्ष 1973)

वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग

- ⌚ वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)
- ⌚ जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)
- ⌚ जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
- ⌚ विश्व विरासत सम्मेलन
- ⌚ रामसर कन्वेंशन
- ⌚ वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
- ⌚ यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट (UNFF)
- ⌚ अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)
- ⌚ प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)
- ⌚ ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)



Drishti IAS

और पढ़ें: [भारत में वन्यजीव संरक्षण में सुधार](#)

